महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ऐक्ट 2005 (MGNREGA 2005) का अनुसूचित जातियों पर हुआ सामाजिक और आर्थिक प्रभाव-परिणाम (संदर्भ महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित वाशिम एवं बुलड़ाणा जिले के संदर्भ में)

सारांश

स्वतंत्रता के बाद देश को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ आरंभ हुई। इन पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास एवं घरैलू उत्पादन बढ़ाने के साथ, यह भी निश्चित किया गया कि, देश के ग्रामीण इलाकों में बसी हुई आबादी को गरीबी से मुक्त कराने लिए गरीबी उन्मुलन जैसे कार्यक्रमों की रचना करना अत्यंत आवश्यक है। समयानुसार इसके लिए कई योजनाओं का निर्माण किया गया। इन योजनाओं में, विषेशतः हजारों सालों से दरिद्रता और गरीबी के कुचक्र में फसी हुई अनुसूचित जाति और जनजातीयों को भी जगह दी गई। केवल उन्हीं को केंद्र में रखने वाली विषेश योजनाएँ भी सामने आयी। भारत सरकार तथा राज्यों की सरकारों ने अपनी नीतियों में समय-समय पर उनके विकास एवं उन्नती के लिए पंचवर्षीय योजना के साथ कुछ उप-योजनाओं का भी निर्माण किया। विषेशतः अनुसूचित जातीयों के लिए जो योजनाएँ बनायी गई उनका उद्देश्य इन जातीयों को कुछ साधन प्रदान कर उनकी आमदनी में वृद्धि करना रहा है। इसलिए इन योजनाओं को सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ भी कहाँ जाता है। इन योजनाओं में कृषि का न्याय वितरण करना, ग्रामीण तथा शहरों में रहने वाले युवाओं को तकनिकी शिक्षा एवं व्यावसायिक कौशल प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना तथा स्वयंरोजगार को प्रोत्साहित कर पुंजि के माध्यम से संपत्ति का निर्माण करने के लिए कर्ज देने जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। अर्थात, इन योजनाओं का ध्येय ग्रामीण इलाकों में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों के लिए उपजीविका के लिए आवश्यक न्यूनतम वेतन की गारंटी, निवास एवं स्वास्थ सेवाओं जैसी सुविधाएँ, स्वतंत्र रोजगार का सृजन करने के लिए जमीन की उपलब्धता के साथ आर्थिक सहायता प्रदान कराना है, जिसके आधार पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाली अनुसूचित जातियों के साथ हो रहे भेदभाव को रोका जा सकें और उनकी गरीबी दूर करते हुए उन्हें अन्य जातीयों के समकक्ष लाया जा सकें। ऐसे में, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने के लिए तथा सभी जाति-वर्ग के लोगों को न्यूनतम वेतन प्रदान कराने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ऍक्ट 2005 (MGNREGA-2005) एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में सामने आती है जो ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल मजदूरों को 100 दिन का रोजगार प्रदान कर सामाजिक

सुरक्षा और 'काम का अधिकार' प्रदान करती है। जाहिर सी बात है, ग्रामीण क्षेत्र में अकुशल, जमीन रहीत और उत्पादन साधनों से कोसो दूर रहने वाला यदि कोई समूह है, तो वह अनुसूचित जातियों का समूह है। अतः इस समुदाय पर किसी सरकारी योजना या नीति-कार्यक्रम का कितना असर हुआ है इस आधार पर ही हम किसी योजना की सफलमा या असफलता को नाप सकते है। इसलिए, प्रस्तुत अनुसंधान के लिए भी महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित वाशिम एवं बुलड़ाणा में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों को चुना गया है और यह जानने का प्रयास किया गया है कि, उक्त क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के व्यक्ति और उनके परिवार पर मनरेगा जैसी योजना का क्या सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव -परिणाम हुआ है।

शोध का उद्देश्य :-

प्रस्तुत अनुसंधान का उद्देश्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ऐक्ट 2005 (MGNREGA 2005) का महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित वाशिम एवं बुलड़ाणा में निवास करने वाली अनुसूचित जाति पर किस प्रकार का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव-परिणाम हुआ है और उनकी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है यह जाँचना है। इसलिए इसमें अनुसूचित जातियों पर हुए प्रभावों का पूर्व एवं पश्चात स्थितियों में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए प्रस्तुत अनुसंधान के उत्तरदाताओं की आयु, लिंग, जाति, धर्म, आवासी सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवसन आदी स्थितियों को मनरेगा के पूर्व तथा पश्चात प्रभावों के संबंध में रेखांकित किया गया है। इस प्रकार, मनरेगा के कारण उन पर जो सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव हुए हैं उनकी ओर इशारा करते हुए प्राप्त तथ्यों के आधार पर मनरेगा अर्थात 'काम के अधिकार' की वास्तविक स्थिति को उजागर करना इस शोध का ध्येय है।

साहित्यावलोकन :-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (2005) को लेकर विभिन्न शोधकर्ताओं और अध्ययनों द्वारा समय-समय पर शोध किये गये हैं और उनमें मनरेगा के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलूओं को उजागर किया गया है। रोजगार में वृद्धि, रोजगार सृजन, दारिद्रता का उन्मूलन, ग्रामीण शक्ति संरचना में समानता और पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण सार्वजनिक कार्यक्रमों द्वारा कृषि श्रम बाजारों में प्रचलित भेदभावोंको कम करना, रोजगार सृजन और काम के अधिकार को प्रभावी

तरीकें से लागू करने से संबंधित कई अध्ययन इसमें शामिल हैं। यह अध्ययन बताते हैं कि, मनरेगा के कारण मिलने वाली अतिरिक्त आय मजदूरों द्वारा किस प्रकार खाद्य सुरक्षा, आश्रितों की शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, घरों की सुविधाएं और टिकाऊ संपत्ति निर्माण करने में उपयोग में लाई जाती है। यही ऐसी योजना है जो अपने से पूर्व आरंभ किये गये गरीबी उन्मूलन के सभी कार्यक्रमों से कही अधिक श्रमदिन और रोजगार का निर्माण करती है। अत: विभिन्न शोध-अध्ययनों में यह दिखायी देता है कि, मनरेगा जैसी योजना ने ग्रामीण भारत में रहने वाले सबसे वाले सबसे कमजोर लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है और सामाजिक रूप से वंचितों, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों को काम के अधिकार के अंतर्गत कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सशक्त बनाया है।

दूसरी ओर मनरेगा के नकारात्मक पहलूओं को उजागर करने वाले शोध भी हुए हैं। यह शोध बताते हैं कि, प्रतिकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियों के कारण ग्रामीण स्तर पर पैदा होने वाली गरीबी से छुटकारा पाने के लिए यह योजना कोई राहत कार्यक्रम नहीं दे सकती। इसलिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम गरीबी के मूल कारणों को नष्ट करने गरीबी से छुटकारा पाने के लिए यह योजना कोई राहत कार्यक्रम गरीबी के मूल कारणों को नष्ट करने में असफल रहा है। जब तक अकुशल प्रतिभागियों को औपचारिक श्रम बाजार में अपनी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, तब तक रोजगार गारंटी योजना केवल सुखा राहत कार्यक्रम ही बनकर रहेगी। उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण और मुख्यधारा के रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम के प्रावधानों को मजबूत करना चाहिए। इसके लिए प्रथमत: उन जरूरतमंदों तक पहुँचना आवश्यक है जो ग्रामीण इलाकों में अपनी आजीविका के लिए काम की तलाश में रहते हैं। मनरेगा के बारे में महिलाओं को जानकारी न देना, कार्यस्थल पर बालकों के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान न करना, अवैध ठेकेदारों द्वारा मनरेगा पर कब्जा करना, उत्पादक मानदंड के सहारे भुगतान में देरी करना और कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न जैसी घटनाओं ने महिलाओं को भी मनरेगा में काम करने से रोका है। रोजगसा और वेतन का स्रोत होकर भी मनरेगा प्रवसन को रोकने में नाकाम साबीत हुई है, लोग अधिक वेतन के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इन सब दिक्कतों के बावजूद, अध्ययनकर्ता का यह मानना है कि, अन्य रोजगार कार्यक्रमों की तुलना में, मनरेगा एक बेहतर योजना है। यह श्रमिकों के बीच कौशल को सुधारने में सहायता कर सकती है और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार को लेकर समन्वय स्थापित कर सकती है।

शोध प्रविधि :-

प्रस्तुत शोध आनुभविक शोध पध्दती पर आधारित होने से, प्रत्यक्ष क्षेत्रिय अध्ययन एवं निरीक्षण के माध्यम से प्राथमिक तथ्यों को संग्रहित किया गया है । तथ्यों का संकलन करने के लिए संरचित साक्षात्कार अनुसूचि उपयोग में लाई गई है और उसका मात्रात्मक तथा गुणात्मक विश्लेषण किया गया है । तथ्यों का मात्रात्मक प्रसंस्करण करणे के लिए कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम एस.पी.एस.एस. का प्रयोग किया गया है ।

सामग्री संकलन :- शोध के लिए आवश्यक प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने के लिए संरचित साक्षात्कार अनुसूचि उपयोग में लाई गई है और द्वितीय स्त्रोंतों के लिए पुस्तकालय पद्धति का उपयोग करते हुए विभिन्न पुस्तक, शोध-आलेख, सरकारी रिपोर्ट, समाचारपत्रों में प्रकाशित सूचनाएं शोध में शामिल की गई हैं।

शोध की सीमा :- शोध के लिए आवश्यक महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित वाशिम और बुलड़ाणा जिले के छः चयनीत तहसील और इन तहसीलों से चयनित तीस गाँवों में ही किया गया और इसमें केवल और केवल उक्त स्थान के अनुसूचित जातीयों के उत्तरदाताही शामिल है। अत: अनुसूचित जातीयों के जिन उत्तरदाताओं का पंजीकरण वर्ष 2012 से वर्ष 2019 तक का है ऐसे तीन सौ उत्तरदाता इसमें सम्मिलित हैं।

शोध की रूपरेखा :-

अध्याय एक : भूमिका एवं सैद्धांतिक पृष्ठभूमि
अध्याय दो : साहित्यवलोकन
अध्याय तीन : अनुसंधान प्रविधि
अध्याय चार : अनुसंधान क्षेत्र का संक्षिप्त सामाजिक एवं आर्थिक वर्णन
अध्याय पांच : मनरेगा लाभार्थियों की स्थिति एवं विविध प्रभाव
अध्याय छ: : निष्कर्ष
संदर्भ ग्रंथ सूची :

निष्कर्ष : -

प्रस्तुत शोध का ध्येय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ऐक्ट 2005 (MGNREGA2005) का महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित वाशिम और बुलड़ाणा जिले के छः चयनीत तहसील और इन तहसीलों से चयनित तीस गाँवों में जीवनयापन कर रही अनुसूचित जातीयों की जनसंख्या पर मनरेगा का किस प्रकार का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव-परिणाम हुआ है और उनकी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है यह जाँचना है। इसलिए यहाँ अनुसूचित जातियों पर हुए प्रभावोंका पूर्व एवं पश्चात स्थितियों में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए प्रस्तुत अनुसंधान के उत्तरदाताओं की आयु, लिंग, जाति, धर्म, आवासी सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवसन आदी कारकों को मनरेगा के पूर्व तथा पश्चात प्रभावों के संबंध में रेखांकित किया गया है। अत: इन प्रभावों को हम सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से समझ सकते हैं।

मनरेगा के सामाजिक प्रभाव की तुलना - पूर्व एवं पश्चात

अनुसंधान के अंतर्गत प्राप्त तथ्यों का तुलनात्मक विश्लेषण करने से यह दिखायी देता है कि, वाशिम और बुलड़ाणा जिले के जिन तहसीलों के गाँवों को अध्ययन के लिए चुना गया है वहाँ अत्याधिक पुरूष ही इस योजना के साथ जुड़े हुए हैं और महिलाओं की भागीदारी अत्यंत कम है। इससे स्पष्ट होता है कि, प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में अधिकतर पुरूष ही इस योजना के लाभार्थी है और मनरेगा के माध्यम से अतिरिक्त मजदूरी प्राप्त करने के मामले में महिलाएँ अभी भी वंचित ही है। अत: श्रमिकों में महिलाओं का बहुत बड़ा वर्ग अभी भी मनरेगा में अपनी सहभागिता दर्ज करने से दूर है और वह अपने हिस्सें की अतिरिक्त आय भी खो रहा है। यह बात मनरेगा के नकारात्मक प्रवाव की ओर इशारा करती है।

दूसरी ओर, मनरेगा में कार्यरत अनुसूचित जातियों में नवबौद्धों की भागिदारी 50 प्रतिशत है और वह अन्य अनुसूचित जातियों के मुकाबले अधिक है। धर्म के आधार पर इसे स्पष्ट किया जाय, तो 50.7 प्रतिशत बौद्ध, 49 प्रतिशत हिंदू और 0.3 प्रतिशत मुसलमान अनुसूचित जातियाँ मनरेगा में भागिदारी निभा रही हैं। भूमिहिन, अकुश श्रमिक और खेतीहर मजदूरों की संख्या इसमें सबसे ज्यादा है। अनुसंधांन में चुने गये उत्तरदाताओं में विभक्त परिवार के सदस्यों की संख्या) 69 प्रतिशत (सबसे अधिक है। इसके बाद संयुक्त परिवार) 30.7 प्रतिशत (और विस्तृत परिवार) 0.3 प्रतिशत की संख्या आती है। इससे यह प्रतित होता है कि, दोनों जिले के ग्रामीण इलाकों में संयुक्त एवं विस्तृत परिवार की अवधारणा नष्ट होणे के कगार पर है।

प्रस्तुत अनुसंधान क्षेत्र में युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में मनरेगा कामयाब नहीं हुई है। उनकी भागिदारी केवल 14 प्रतिशत है और 75 प्रतिशत प्रौढ़ उत्तरदाता मनरेगा के श्रमिक है। इससे यह चित्र उभरकर आता है कि, मनरेगा जैसी योजना में युवा ऊर्जा का इस्तेमाल अभी ठिक से नहीं हुआ है। शोध में यह देखा गया है कि, विभिन्न प्रकार के कार्ड धारकों की आय स्थिर नहीं है और वह अपने परिवार की आजीविका के लिए केवल और केवल मनरेगा जैसी योजना पर निर्भर है। इन सब की शिक्षा अधिकतम माध्यमिक स्तर तक हुई है। उनके परिवार के अन्य सदस्यों की शिक्षा का स्तर भी कोई विशेष छाप नहीं छोड़ता। अर्थात, उनके पास न तो प्रभावि शिक्षा है और न ही कोई कौशल है। अत: यह मनरेगा का नकारात्मक प्रभाव है ।

निवास के संबंध में प्राप्त आँकड़ों अभी भी, 30.35 प्रतिशत घर मिट्टी और कुड़े से बने है, 32.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने निवास के संबंध में कोई सुधार नहीं किया है। अत: 54.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार धन की कमी के कारण वह अपने निवास को लेकर कोई सुधार नहीं कर पाये हैं। उत्तरदाताओं के, घरों में बिजली, गैस कनेक्शन, मोबाईल, नल, हैंड पंप, टेलिविजन सायकल, पंखा, दो पहिया वाहन आदि में वृद्धि हुई है। टेलीजिन समाचार, समाचारपत्र, घर में उपलब्ध पुस्तक, पत्रिकाएँ, रेड़ियो, इंटरनेट का उपयोग बढ़ा है। अत: व्यक्ति शहरी हो या ग्रामीण, सूचना और मनोरंजन को प्राप्त करने की ललक उसमें समान रूप से विद्यमान है। इस प्रकार मनरेगा में काम करने के बाद आवास से लेकर घर की जरूरू चीजों में होने वाली यह वृद्धि निश्चित ही मनरेगा के सकारात्मक पक्ष को उजागर करती है।

भोजन अथवा पोषक आहार के मामले में, गेहू, दाल-चावल जैसे वसा और ऊर्जा से भरे अनाज को छोड़ दिया जा तो, प्रस्तुत अनुसंधान के उत्तरदाताओं द्वारा बैगन और आलू जैसी कम ऊर्जावान सब्जीयों का उपयोग भोजन के तौर किया जा रहा है और मनरेगा में काम करने के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ हैं। यहाँ दूध का इस्तेमाल केवल सुबह या शाम की चाय बनाने के लिए किया जाता है। बच्चों के लिए आवश्यक पोषक आहार से वह पूर्णतः गायब है। मनरेगा में काम करने से पहले उत्तरदाताओं की खुराक में अंड़े प्रमुख तौर पर इस्तेमाल किये गये है और यह प्रचलन भोजन-पोषण के संबंध में उनकी बिकट आर्थिक स्थिति को इंगित करता है। 60.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार मनरेगा में काम करने के बाद भी उनके पोषण में वृद्धि नहीं हुई है। इस प्रकार यदि, मनरेगा में काम करने बाद भी भोजन से मांसाहार को हटा दिया जाय, तो पोशन में कोई भी बदलाव नहीं आया है। ध्यान देने की बात यह है कि, प्रस्तुत अनुसंधान के उत्तरदाता अकुशल

श्रमिक है और उनकी मजदूरी कठिन श्रम पर निर्भर करती है। ऐसे में, अपर्याप्त मांसाहार तथा अन्य पोषक तत्वों की कमी भोजन और पोषण के मामले में उन्हें हाशिएँ पर ढ़केलती है जिसे मनरेगा का नकारात्मक प्रभाव ही माना जा सकता है।

मनरेगा में काम करने से पहले 57.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार में कोई भी बिमार नहीं था। लेकिन बाद में यह संख्या 50.3 प्रतिशत हो गई है। अर्थात, मनरेगा में काम करने के बाद लगभग 7.0 प्रतिशत लोग बिमार रहे हैं। मनरेगा की पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में, उत्तरदाताओं के परिवार में सर्दी, खासी, शारीरिक कष्ट से निर्मित व्याधीयों को देखा गया है। विशेषत :किसी प्रकार की सर्जरी, घूटने का दर्द, कंधे का दर्द, मधूमेह आदी बिमारीयों में वृद्धि हुई है। दरअसल, मनरेगा में कार्यरत अनुसंधान क्षेत्र के महिला और पुरूष उत्तरदाता अधिकतर प्रौढ़ है। इसलिए बढ़ती उम्र और कठोर शारीरिक श्रम के कारण उनमें उपरोक्त बिमारीयाँ दिखायी देती है, जो किसी भी तरह से घातक है। विशेषत: 54.3 प्रतिशत परिवार के प्रमुख भारी काम करने से परेशान है। यह मनरेगा का नकारात्मक प्रभाव है, लेकिन मनरेगा में काम करने के बाद इसमें से लगभग 27.0 प्रतिशत लोगों ने अपनी बिमारी को गंभीरता से लेते हुए इलाज पर ध्यान दिया है। वह सरकारी दवाखाने का जमकर उपयोग कर रहे हैं और अब उनमें से 22.7 प्रतिशत लोगों के पास स्वास्थ बीमा है जो स्वास्थ के मामले में मनरेगा की सफलता और सकारात्मकता को इंगीत करता है।

शिक्षा के संबंध में प्राप्त आंकड़े बताते है कि, मनरेगा से पूर्व जो छात्र-छात्राएँ प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अर्जित कर रहें थे उनमें मनरेगा में काम करने के बाद अंशात्मक वृद्धि हुई है। छात्र अब अपने गाँव के अलावा पास के गाँव में जाकर शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। पहले सरकारी स्कुल में 94.5 प्रतिशत और निजि स्कुल में 5.5 प्रतिशत बच्चें पढ़ते थें। लेकिन अब 60.7प्रतिशत सरकारी स्कुल में पढ़ रहे हैं। अर्थात, 35.0 प्रतिशत बच्चों ने निजि स्कुल में प्रवेश लिया है। इसलिए अब 20.0 प्रतिशत बच्चें निजि स्कुल में शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। इस से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक शिक्षा के संबंध में मनरेगा का सकारात्मक प्रभाव रहा है। स्कुल की फिस के साथ नयी किताबे, स्कुल ड्रेस, जुते, बस और ऑटो का कीराया, टयुशन का खर्च आदी सहने की क्षमता कुछ हद तक उन्हें मनरेगा के कारण मिली है। लेकिन इसी स्तर पर स्कुल ड्रॉपआउट भी दिखायी देता है। 45.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार मनरेगा के कारण प्राथमिक से उच्च प्राथमिक की शिक्षा के पैसों की उपलब्धता हुई है, तो 48.3 प्रतिशत के

अनुसार पैसों की उपलब्धता नहीं हुई है। जो हो, इसे मनरेगा का नकारात्मक प्रभाव ही कहाँ जायेगा।

माध्यमिक शिक्षा के संबंध में मनरेगा का सकारात्मक प्रभाव दिखायी देता है। स्कुल फिस के साथ अन्य खर्चों को सहने की क्षमता उनमें दिखायी देती है। लेकिन माध्यमिक स्तर पर आठवी या नौवी कक्षा तक आते-आते स्कुल ड्रॉपआउट बढ़ जाता है जो मनरेगा के नकारात्मक पहलू को उजागर करता है। स्कुल ड्रॉपआउट के मुख्य कारणों में शिक्षा से संबंधित अरूचि के बजाय हमें उन आर्थिक कारणों को समझना चाहिए जो व्यक्ति की शिक्षा ग्रहण करने की इच्छओं में बाधा ड़ालते है। अतः यहाँ पैसों की कमी स्कुल ड्रॉपआउट का मुख्य कारण है जो ग्रामीण गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करता है। उच्च शिक्षा के संबंध में, मनरेगा में काम करने से पहले तहसील और जिले के स्थान पर पढ़नेवाली की संख्या अधिक दिखायी देती है और बाद में यह संख्या कम हो जाती है। यद्यपि, दूसरे जिले में जाकर पढ़नेवाले बढ़े है। पूर्व स्थिति में उत्तरदाता केवल उच्च शिक्षा की पढाई पर ही खर्च कर सकते थे। लेकिन, पश्च्यात स्थिति में शिक्षा के साथ किराये की रूम पर भी खर्च बढ़ा है। अर्थात, पश्च्यात स्थिति में उत्तरदाता अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च संभाल पा रहे है। कॉलेज से संबंधित ड्रॉपआउट भी कम होता दिखायी देता है। कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने वालों की संख्या बढ़ी है और सभी शाखाओं के स्नातक छात्रों की संख्या का प्रतिशतअंशात्मक ही सही, लेकिन बढ़ा है। लोग अपने बच्चों को आई.टी.आई .और पॉलिटेक्नीक जैसी व्यावसायिक शिक्षा देने में अग्रेसर नजर आ रहे हैं। लगभग 27.3 प्रतिशत लोगों का कहना है कि, मनरेगा के कारण उच्च शिक्षा के लिए पैसा उपलब्ध हुआ है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि, अनुसंधान क्षेत्र के लोगों में अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की जबरदस्त इच्छा है और वह इसे पूरा कर रहे हैं जो मनरेगा सकारामक प्रभाव होने के साथ उत्तरदाताओं की शिक्षा से संबंधित चेतना को उजागर करता है। लेकिन, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा में लिंग विभेदीकरण बरकरार है। यहाँशिक्षा के संबंध में लड़कियों के बजाय लड़कों पर अधिक ध्यान दिया गया है जो अनुसंधान क्षेत्र के उत्तरदाताओं की सीमित सोच को सामने रखती है। संभवतः इसका कारण पैसों की कमी, अन्य प्रकार की कोई दिक्कते आदी हो सकता है। लेकिन इस दिशा में मनरेगा में काम करने के बाद भी कोई सकारात्मक पहल नहीं हो सकी है जो मनरेगा के नकारात्म प्रभाव को दर्शाती है।

मनरेगा के आर्थिक प्रभाव की तुलना - पूर्व एवं पश्चात

संबंधित अनुसंधान के उत्तरदाता मनरेगा में करने पहले या बाद में कृषि की उपलब्धता के संबंध में हाशिएँ पर है। कृषि की उपलब्धता के संबंध में जो ऑकड़ें प्राप्त हुए है वह इतने सुक्ष्म है कि, उन्हें न गीना जाना ही बेहतर है। इसलिए प्रस्तुत अनुसंधान क्षेत्र के उत्तरदाताओं के पास अपनी आजीविका के लिए जो जमीन उपलब्ध है उस पर मनरेगा का कोई प्रभाव नहीं है। दूसरी ओर, मनरेगा में काम करने से पूर्व जो कुछ भी जमीन उत्तरदाताओं के पास रही है, वह मनरेगा मे काम करने के बाद बेची गई है। इसके पीछे प्रतिदिन का खर्च, कर्ज का भूगतान, शिक्षा आदी पर किये जानेवाले खर्च से संबंधित कारण शामिल है। अतः जमीन के क्रय-विक्रय के मामले में भी मनरेगा का नकारात्मक प्रभाव ही रहा है। घर में उपलब्ध पशुधन को लेकर भी मनरेगा का नकारात्मक प्रभाव है। क्योकि, मनरेगा में काम करने के बाद पशुधन क्रय के संबंध में जो वृद्धि दिखायी देती है, वह कोई विशेष लक्षणीय नहीं है। अर्थात, भेड़, बकरी या मुर्गा-मूर्गी आदी पशुओं की खरीद उत्तरदाताओं की आर्थिक सुस्थिति को दर्शाती हो ऐसा नहीं है। इन सभी पशुओं को पालने के लिए उन्हें खर्च उठाना पड़ता है और पशुओं की खरीद कोई विशेष मात्रा में की गई हो ऐसा नहीं है। खरीदे गये पशुओं की संख्या बहुत कम है। इस अर्थ में, उत्तरदाताओं में पशुधन की उपलब्धता उनकी बूरी आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। इसलिए पशुधन की उपलब्धता और क्रय-विक्रय के मामले में मनरेगा का नकारात्मक प्रभाव रहा है। जो हो, कृषिऔर पशुधन के अलावा उत्तरदाताओं के अन्य उद्योग से संबंधित आँकड़े मनरेगा के सकारात्मक परिणाम की ओर इशारा करते है। क्योकि, मनरेगा में काम करने से पहले कृषि में (9.3 प्रतिशत), खेतीहर मजूदर में (50.3 प्रतिशत), मुक्त हस्त व्यावसाय में (22.7 प्रतिशत), छोटी दूकानदारी में (8.7 प्रतिशत), अकुशल मजदूरी में (7.3 प्रतिशत) और ठेकेदारी में (1.7 प्रतिशत) उत्तरदाता काम करते थे। लेकिन मनरेगा में काम करने के बाद इनमें से सभी उत्तरदाओं ने उपरोक्त सभी कार्यों को छोड़ दिया है। वहीं, बकरी पालन, दुग्ध व्यवसाय और मुर्गी पालन जैसे पूरक व्यावसायों की उपलब्धता भी उनमें दिखायी देती है। अर्थात, संबंधित अनुसंधान के उत्तरदाताओं को गारंटी के रूप में मिलने वाला सौ दिन का रोजगार एक बेहतर विकल्प साबीत हुआ है। यद्यपि, इस रोजगार का आकार बहुत ही छोटा है। लेकिन इससे प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय पूरक व्यावसाय में निवेष करने के लिए अवसर प्रदान करती है। दूसरी ओर, पश्च्यात स्थिति में 52.3 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि, मनरेगा के

कारण उकी आय भी बढी़ है। जो आय पहले 2236.16/- रूपये थी, वह बाद में 2634.40/- रूपये हो गई है। अर्थात, इसमें 1361.25/- रूपये की वृद्धि हुई है जो मनरेगा के प्रभाव को स्पष्ट करती है। यद्यपि, परिवार के सभी सदस्य जो कही न नहीं कोई छोटी-मोटी नौकरी करते हैं उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं, लगभग 98.3 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि, कृषि के लिए आवश्यदक वित्त की कोई सहायता मनरेगा के कारण नहीं हुई है। ऐसे ही, 88.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार किसी भी प्रकार के लघू उद्योग के लिए मनरेगा का कोई लाभ नहीं हुआ है जिसे मनरेगा का नकारात्मक प्रभाव कहाँ जा सकता है।

कम मजदूरी, रोजगार का अभाव, कृषि के लिए जमिन का उपलब्ध न होना, कर्ज का बोझ, कठिन श्रम आदी कारणों की वजह से पश्च्यात स्थिति में भी संबंधित उत्तरदाताओं में प्रवसन बढ़ा है। प्रतिदिन का खर्च, विवाह, शिक्षा, घर की मरम्मत, जमीन की खरीदारी यह सभी कारण प्रवसन के लिए उत्तरदाताओं को प्रेरित करते है। मनरेगा में काम करने के बाद भी 91.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रवसन किया है। अर्थात, स्थानिक स्तर पर उनके पास रोजगार और रोजगार से निर्मित होनेवाली अतिरिक्त आय को प्राप्त करने का कोई विकल्प न होने से यह प्रवसन हुआ है। मनरेगा की यह बहुत बड़ी विफलता है जो उसके नकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है। इसमें केवल एक सकारात्मक बात यह है कि, पश्च्यात स्थिति में प्रवसन की अवधी कम हुई है। दूसरी ओर यह भी दिखायी देता है कि, मनरेगा से प्राप्त होनेवाले रोजगार के कारण और पास के गाँव या तहसील में मिलने वाले रोजगार के कारण 86.8 प्रतिशत लोगों ने प्रवसन नहीं किया है। लेकिन इनमें 80.4 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता है जो मनरेगा के बाद प्रवसन करने पर भी गरीब ही रहे है। अर्थात, मनरेगा में काम करने के बाद और प्रवसन करने के बाद भी उनकी गरीबी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसमें जो कुछ सुधार दिखायी देता है वह अत्यन्त सुक्ष्म है। इसलिए पश्च्यात स्थिति में 55.2 प्रतिशत प्रवसन हुआ है। कम मजदूरी, रोजगार भत्ते का अभाव, कम्प्यूटर में नाम एवं जॉबकार्ड़ नंबर नहीं मिलना, देरी से स्थानिक निर्णय आना, बनाई गई संपत्ती का उपयोग न होना, अर्जी देने के बाद भी काम का न मिलना, मजदूरी के बैंक जमा न होना आदी सभी कारणों से यह प्रवसन हुआ है। अधिक मजदूरी मिलना, रिश्तेदारों से संपर्क, दवाखाने की सुविधा, काम की उपलब्धता, कार्यस्थल पर बेहतर सुविधा आदी बातों को ध्यान में रखकर उत्तरदाताओं ने प्रवसन किया है।

जो हो, प्रस्तुत अनुसंधान के उत्तरदाताओं में मनरेगा में काम करने से पहले और बाद की स्थितियों में प्रवसन को लेकर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए उत्तरदाताओं ने 15

दिनों के भीतर काम प्रदान कराना, रोजगार भत्ता जल्दी देना, मनरेगा के वेतन में वृद्धि कराना, समय पर बैंक में मजदूरी जमा कराना आदी उपयों को सुझाया है। दूसरी ओर, सामाजिक, धार्मिक और राजनीति सहभागिता पूर्व और पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में समान है। अधिकतर उत्तरदाता राजनीतिक सहभागिता से दूर ही है। इसलिए ग्रामपंचयात की सदस्यता, स्थानिक राजनीतिक पक्ष की सदस्यता आदी में कम सहभागिता है और बाद की स्थिति में केवल एक व्यक्ति उप-सरपंच बन पाया है। विशेष बात यह है कि, प्रस्तुत अनुसंधान के उत्तरदाताओं की स्वयं की कृषियोग्य जमीन पर मनरेगा का कोई भी काम नहीं हुआ है। यह काम क्यो नहीं हुआ है इस संबंध में शोध होना अत्यंत आवश्यक है। जो हो, कुलमिलाकर प्रवसन, सामाजिक, धार्मिक और राजनीति सहभागिता को लेकर मनरेगा का कोई खास प्रभाव नहीं है।

अन्त में, मनरेगा के कुल सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की ओर देखा जाय तो, प्रस्तुत अनुसंधान के उत्तरदाताओं में मनरेगा के कारण जो अतिरिक्त आय हुई है उसके कारण वह अपने लिए घर से संबंधित सुख-सुविधाओं पर खर्च करने में सक्षम हुए हैं। स्वास्थ को लेकर भी उनमें जागरूकता बढ़ी है। इसलिए अधिकतर उत्तरदाताओं के पास स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध हुआ है। प्राथमिक, माध्यमिक और कुछ अंष तक उच्च शिक्षा से संबंधित जरूरतों को वह पूरा कर रहे है। व्यक्ति केंद्रित योजना के कारण जो विभक्त परिवार निर्माण हुए है उनमें प्रत्येक व्यक्ती को रोजगार उपलब्ध हुआ है। वह स्थानिक स्तर पर पूरक व्यावसाय को संचालिक कर रहे है। रोजगार और अतिरिक्त आय की तलाष में जो प्रवसन उनके द्वारा होता रहा है, मनरेगा के कारण उसकी अवधी में कमी आयी है। लेकिन जहाँ तक मनरेगा के नकारात्मक प्रभावों की बात है, इसमें अभी भी महिलाओं की उपस्थिति नगण्य है। उनके प्रतिदिन के भोजन में पोषण की मात्र अत्यन्त कम है और संभवतः इसी वजह से स्वास्थ को लेकर उनकी चिंताएँ जैस को तैस है। माध्यमिक स्तर पर बच्चों का ड्रॉप आउट बढ़ा है। उच्च शिक्षा में ही मनरेगा का कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं है और शिक्षा के सभी स्तर पर लिंग विभेदीकरण की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। दूसरी ओर, स्वयं उत्तरदाता और उसके परिवार के अन्य सदस्यों में कुषल श्रमिक निर्माण करने में मनरेगा को सफलता नहीं मिली है। क्योकि, स्थानिक युवा अभी भी मनरेगा में कार्य करने से हिचकिचाते है। आजीविका के लिए आवश्यक कृषि की उपलब्धता और पशुधन की संख्या, उसका क्रय-विक्रय मनरेगा में काम करने के बाद भी बहुत कम है। कृषि तथा लघू उद्योग के लिए आवश्यक वित्त की सहायता देने में भी मनरेगा असफल नजर आती है। इसलिए मनरेगा की पूर्व एवं पश्च्यात स्थिति में समान रूप से प्रवसन हो रहा है। अर्थात स्थानिक

रूप से मनरेगा में उपलब्ध होने वाला रोजगार और प्रवसन से प्राप्त होनेवाली अतिरिक्त कमाई उनकी गरीबी को कम करने में कारगर सिद्ध नहीं हुई है। अतः अनुसंधान क्षेत्र में 'काम का अधिकार' बहुत ही गहराई तक कार्यान्वित करना आवश्यक है और उसके लिए संबंधित क्षेत्र में तीव्र औद्योगिकीकरण की जरूरत है। क्योकि, प्रस्तुत अनुसंधान क्षेत्र के उत्तरदाताओं में गरीबी कुचक्र वर्तमान समय में भी विद्यमान है और मनरेगा उसे दूर करने में अभी कामयाब नहीं हुई है। अर्थात, उत्तरदाताओं का सामाजिक और आर्थिक स्तर अभी ऊँपर उठना बाकी है। इसके लिए मनरेगा के संबंध में लोगों को शिक्षित करना, आजीविका के साथ स्वयं की संपत्ति निर्माण करने के लिए उन्होंने जागरूकता लाना, कार्यदिनों के साथ वेतन में वृद्धि करना और उसकी सही जानकारी देने के साथ महिलाओं की भागिदारी को अधिकाधिक वृद्धित करना आवश्यक है। इसमें, कुछ सुझाव स्वयं अनुसंधान से संबंधित उत्तरदाताओं से भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें जॉबकार्ड़ से लेकर ग्रामपंचायत की निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने से संबंधित सुधार का जिक्र होने के साथ, स्थानिक प्रशासन द्वारा अधिकाधिक जवाबदेही निभाने की माँग भी शमिल है जो उन्हें मनरेगा के द्वारा संवैधानिक दायरे के भीतर रहते हुए एक नागरिक के रूप में प्राप्त हो सकें।